

## 20 फरवरी को “डैडलाइन” से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये दौड़ लगी

इस दौड़ में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय गर्भवती महिलाओं की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 23 जनवरी। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के जन्म आधारित नागरिक अधिकार खम्ब दूर के कार्यकारी आदेश के बाद, अमेरिका के दूरपालों, जो माता-पिता बनने वाले हैं, में 20 फरवरी से पहले सी सैक्षमन से बच्चे को जन्म देने की होड़ लग गई है। ट्रम्पने 20 फरवरी की डैडलाइन दी है जन्म आधारित नागरिकों के अधिकार को समाप्त करने के लिए।

इन मामलों में से अधिकांश भारत के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चलन विशेषज्ञ एशियाई दूरों के अलावा अन्य दूरों में भी है, क्योंकि होक व्यक्ति मामूली सी सैक्षमन होने पर इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है।

ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, क्योंकि जो महिलाएं सी सैक्षमन का विकल्प चुन रही हैं, वे गर्भवती समय में आदेश या नवें मामलों में ही गर्भवतीया की अवधि पूरी होने में कुछ ही समय बचता है, और इससे बच्चे को खतरा हो सकता है।

न्यूजीलैंड की मैटरिनीटी क्लीनिक में कार्यरत डॉ. एस.डी. रामारावने कहा कि

- ये महिलाएं, जिन्हें गर्भ धारण किये आठ या नौ महीने ही हुए हैं, “डैडलाइन” से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये, अमेरिका में डॉक्टरों पर “सिजेरियन” प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देने के लिए दबाव डाल रही हैं। हालांकि, डॉक्टर उन्हें बार-बार सलाह दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया से बच्चे की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- समय से पूर्व जन्मे ऐसे बच्चों में फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इन बच्चों को माँ का स्तनपान करने में भी कठिनाई होती है। इन बच्चों का जन्म के समय वजन भी बहुत कम होता है तथा कुछ बच्चों में “न्यूरोतोजिकल प्रबलम्स” भी विकसित हो जाती हैं।
- ट्रम्प द्वारा निर्धारित डैडलाइन का उन लाखों भारतीयों पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका में अस्थायी वीजा प्राप्त करके रह रहे हैं।
- क्योंकि, अमेरिका में “ग्रीन कार्ड” प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, उन भारतीय दम्पत्तियों के लिए यह एक “सेफ्टी नेट” है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनकी पत्नियां गर्भवती हैं।

उनसे समय से पूर्व डिलीवरी कराने के महिला का मार्च में बच्चा होना है, वह उनसे कई लोगों ने आग्रह किया है। एक सात माह की गर्भवती है, पर अपने पति

के साथ समय से पहले डिलीवरी के लिए आई थी।

अस्थाई रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों में जन्म आधारित नागरिकों के अधिकार के डैडलाइन 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ लगी है, ताकि बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए।

जन्म के आधार पर स्वतः नागरिकता मिल जाने के अधिकार को खत्म करना यीशन नीति में बड़ा बदलाव है तथा इससे अमेरिका में अस्थायी वीसा पर रह रहे लोगों भारतीय प्रभावित होंगे।

जन्म आधारित नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले हो बच्चे को अमेरिका का नागरिक बनने का अधिकार देता है, भले ही उसके माता-पिता किसी भी देश के हों और उनकी इमिशन रिस्ट्रिक्शन चाहे जो हो।

डॉ. एस.जी. मुकुलाला ने लोगों की समय पूर्व प्रसव के संबंध में चेतावनी दी और कहा कि ऐसे बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, तब्बे फीडिंग में अधिकार निखिल सेने ने कहा कि राज्य सरकार ने रामतुभाया कमेटी की सिफारिसों और तय मापदंडों के आधार समस्या होती है, उनका वजन का होता है। याचिका में सूचीबद्ध करने को चाहती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीमकाथाना व गंगापुर सिटी जिला समाप्ति मामले की सुनवाई 28 जनवरी को

जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नव सुचित नीमकाथाना जिले का दर्ज समाप्त करने पर राज सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले के समाप्त प्रकरण में गंगापुर सिटी के मामले में रामकेश मीणा को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए दिए। वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ

जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकर रमण चंद्र खंडलाल की याचिका पर प्रार्थनीक सुनवाई करते हुए